

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1886]  
No. 1886]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

**भारत सरकार**

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर 2015

का. आ. 2421 (अ) केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल		भू-स्वामियों/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
							(एकड़ में)	(वर्ग मीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	राँची	(1) तमाड़	(1) रूगड़ी	19	निजी	दोन-III	0.040	161.8778	गोर बाबू वगैरह, मुण्डारी खुंटकटी
				24	निजी	टांड-II	0.070	283.2861	आनंद सिंहस, खेवट नं० 5/1, मुण्डारी खुंटकटी
				25	निजी	टांड-II	0.005	20.2347	कलेश्वर सिंह, खेवट नं० 13/1
				202	निजी	दोन-III	0.015	60.7042	छोटू बाबू खेवट नं०-5/3 मुण्डारी खुंटकटी
				212	निजी	दोन-II	0.015	60.7042	चनकु हजाम वो केशव हजाम, मुण्डारी खुंटकटी
				213	निजी	दोन-II	0.260	1052.2056	सशंकरी जौजे मोहन, मुण्डारी खुंटकटी
				214	निजी	दोन-III	0.540	2185.3501	भरथैया वलद घोघ, मुण्डारी खुंटकटी
				216	निजी	दोन-III	0.140	566.5722	सोहराय बाबू खेवट नं० 10/3, मुण्डारी खुंटकटी
				220	निजी	दोन-III	0.140	566.5722	कार्तिक पाहन वगैरह मुण्डारी खुंटकटी
				221	निजी	दोन-III	0.060	242.8167	बसरह नं० 224, मुण्डारी खुंटकटी
				223	निजी	दोन-III	0.035	141.6431	कडमें बाबू खेवट नं० 9/4, मुण्डारी खुंटकटी
				224	निजी	दोन-III	0.035	141.6431	जेनम सिंह, खेवट नं०. 12/1 मुण्डारी खुंटकटी
				225	निजी	दोन-I	0.015	60.7042	काशीनाथ बगैरह खे० नं० 9/3, मुण्डारी खुंटकटी
				227	निजी	टांड-I	0.045	182.1125	बसरह नं० -224, मुण्डारी खुंटकटी
				228	निजी	दोन-III	0.250	1011.7361	बसरह नं०-214, मुण्डारी खुंटकटी
				231	निजी	दोन-III	0.120	485.6333	बंदी राय बाबू पिता-आनंद बाबू, मुण्डारी खुंटकटी
				233	निजी	दोन-III	0.060	242.8167	बिरसा मुण्ड, पिता सुकु मुण्डारी, मुण्डारी खुंटकटी
				234	निजी	दोन-III	0.110	445.1639	सी०वी० मुण्डारी, मुण्डारी खुंटकटी
				236	निजी	दोन-III	0.060	242.8167	गुलाब बाबू खेवट नं०-10/1, मुण्डारी खुंटकटी
				237	निजी	दोन-III	0.045	182.1125	बसरह नं०-368, मुण्डारी खुंटकटी
				240	निजी	दोन-III	0.140	566.5722	बसरह नं०-224 मुण्डारी खुंटकटी
				345	निजी	दोन-III	0.150	607.0417	भरत मुण्डा, मुण्डारी खुंटकटी
				346	निजी	दोन-II	0.130	526.1028	बसरह नं०-345 मुण्डारी खुंटकटी
				347	निजी	दोन-I	0.100	404.6945	दखीन कुम्हार, पिता-मोहन कुम्हार, मुण्डारी खुंटकटी।
				348	निजी	दोन-I	0.285	1153.3792	बसरह नं०-347, मुण्डारी खुंटकटी।
				349	निजी	दोन-I	0.055	222.5820	बसरह नं०-347, मुण्डारी खुंटकटी।
				352	निजी	दोन-II	0.005	20.2347	गोविन्द मुण्डा वगैरह मुण्डारी खुंटकटी
				363	निजी	टांड-II	0.105	424.9292	राधि पातर वलद शखि पातर, मुण्डारी खुंटकटी
				364	निजी	टांड-II	0.350	1416.4306	भरत मुण्डारी वलद राम मुण्डा, मुण्डारी खुंटकटी
				368	निजी	दोन-I	0.030	121.4083	बलि मुण्डा वलद बुधा मुण्डा मुण्डारी खुंटकटी।
				372	निजी	दोन-I	0.005	20.2347	गोले बाबू खेवट नं०-11/1 मुण्डारी खुंटकटी
				373	निजी	टांड-II	0.190	768.9195	दास बाबू, खेवट नं० 12/2, मुण्डारी खुंटकटी
				374	निजी	टांड-II	0.005	20.2347	बसरह नं० 25, मुण्डारी खुंटकटी

(1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 584 (अ) तारीख 20 फरवरी 2015 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के राँची जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 113.600 कि.मी. से 198.300 कि.मी. (राँची-रड़गांव सेक्शन) तक के भुखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी; और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 17 अप्रैल 2015 को "खबर मंत्र" और "हिन्दुस्तान" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं। और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 33 के कि.मी. 133.600 से कि.मी. 198.300 तक (राँची-रड़गांव सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण